कोविड–19

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक : 26 FEB 2021

जिला कलक्टर
(बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर,
बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां,
भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर)

विषय :– महाराष्ट्र/केरल से आने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है। उक्त स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा बाबत् विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांकःप.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 25 फरवरी, 2021 जारी किया जा चुका है।

महाराष्ट्र एवं केरल से सड़क मार्ग से आने वाले लोगो की RT-PCR रिपोर्ट की जांच हेतु आपके जिले में पूर्व की भांति प्रवेश द्वारा पर चेक पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह